उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून– 248001.

दूरभाष :– 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177.

पत्रांक 3915 /वि0अनु0/02/शा0अनु0 508/2025–26 दिनांक : 10/9/25

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
(उत्तर/दक्षिण)देहरादून/अनु0खण्ड देहरादून/चमोली/कर्णप्रयाग
रुद्रप्रयाग/टिहरी/देवप्रयाग/घनसाली/उत्तरकाशी/पुरोला/पौड़ी
कोटद्वार/नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर/अल्मोड़ा/रानीखेत/ पिथौरागढ़
डीडीहाट/चम्पावत/बागेश्वर।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु एस.डी.आर.एफ. मद के अन्तर्गत धनाबंटन के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–508/767(2020)TC-2 उत्तराखण्ड राज्य आपद प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून दिनांक 25 जून, 2025 से वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से ₹ 2000.00 लाख (बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है।

अवगत कराना है कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत अप्रैजल अनुभाग द्वारा संकलित मांग के सापेक्ष आपको निम्नांकित अनुसार धनाबंटन किया जा रहा है:–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सा0	शाखा का नाम	क्षतिग्रस्त योजना की संख्या	अनुरक्षित संस्था		योजना का प्रकार		योजना के मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या 508 दिनाक 25.06.2025 से आवंटित धनराशि		
			जल संस्थान	ग्राम सभा	नगरीय	ग्रामीण	अस्थायी चालू करने पर व्यय धनराशि	स्थायी चालू करने हेतु धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चमोली	64	51	13	9	55	14.44	109.69	124.13
2	कर्णप्रयाग	48	47	1	10	38	10.12	85.02	95.14
3	रुद्रप्रयाग	69	62	7	7	62	11.42	134.21	145.63
4	नई टिहरी	39	39	0	0	39	6.34	70.66	77.00
5	देवप्रयाग	14	14	0	0	14	1.25	24.78	26.03
6	घनसाली	24	24	0	2	22	3.30	43.53	46.83
7	उत्तरकाशी	63	63	0	15	48	14.10	110.19	124.29
8	पुरोला	32	30	2	1	31	5.83	54.98	60.81
9	पौड़ी	16	16	0	1	15	4.55	57.65	62.20
10	कोटद्वार	14	14	0	0	14	7.25	41.08	48.33
11	अनु.खण्ड, देहरादून	115	115	0	0	115	48.27	159.92	208.19
12	उत्तर,	1	1	0	1	0	0.22	9.73	9.95
13	दक्षिण	2	2	0	2	0	0.00	9.86	9.86
14	नैनीताल	23	23	0	2	21	5.45	39.63	45.08
15	हल्द्वानी	7	7	0	1	6	1.00	9.60	10.60
16	रामनगर	16	16	0	3	13	4.65	36.35	41.00
17	अल्मोड़ा	25	25	0	0	25	2.20	47.28	49.48
18	रानीखेत	16	16	0	0	16	2.78	28.50	31.28
19	पिथौरागढ	11	11	0	2	9	0.40	20.33	20.73
20	डीडीहाट	60	60	0	2	58	6.06	112.34	118.40
21	चम्पावत	31	31	0	4	27	5.88	72.37	80.00
22	बागेश्वर	17	14	3	4	13	0.00	33.22	33.22
कुल योग :–		707	681	26	66	641	155.51	1310.92	1468.18

अतः उक्त तालिका के कॉलम संख्याः 2 में अंकित शाखाओं को उसके सम्मुख कॉलम 10 में शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में अंकित धनराशि इस कार्यालय के पत्र संख्याः 3770 / लेखा भुगतान / 2025–26 दिनांक 03.09.2025 से RTGS के माध्यम से वर्णित निम्नलिखित प्रतिबन्धों, शर्तों एवं एस0डी0आर0एफ0 की गाईड लाईन के अनुरूप अक्षरशः अनुपालन करते हुए कार्यों के सम्पादन हेतु हस्तान्तरित कर दी गयी है।

शर्तें व प्रतिबन्धः–

1) उक्त धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–33–03 / 2020– NDM-I(Vol-II) दिनांक 10.10.2022 एवं पत्र संख्या–33–03 / 2020-NDM-I दिनांक 11.07.2023 में निर्धारित विस्तृत मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

2) क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं हेतु रु0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त योजना के लिए अनुमन्य है तथा किसी क्षतिग्रस्त योजना पर अधिक्य धनराशि व्यय होने की दशा में वह धनराशि संबंधित प्रशासकीय विभाग के विभागीय बजट से वहन की जायेगी।

3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से वहीं कार्य अनुमन्य होंगे, जो DLP में नहीं है।

4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं पर कार्य किया जाना आवश्यक हो, की स्वीकृति शासनादेश संख्याः 176 दिनांक 15 फरवरी, 2024 के अनुसार जिला स्तर पर गठित समिति से अनिवार्य रुप से ली जाय।

5) यदि अपरिहार्य परिस्थिति वश किसी योजना को तात्कालिक रुप से सम्पादित कराया जाना आवश्यक हो तो ऐसी योजनाओं की कार्योत्तर स्वीकृति भी उल्लिखित समिति से अनिवार्य रुप से प्राप्त की जाय।

6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं का विवरण जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रवन्धन कार्यालय को निम्न प्रारुप पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगाः–

क्र.सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	खण्ड विकास कार्यालय का नाम	ग्राम / स्थान का नाम	जियोटैग फोटोग्राफ	लागत

7) वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते है। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्यों में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8) आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यों के लिये किया जायेगा, जो N.D.R.F/S.D.R.F के दिशा निर्देशों में अनुमन्य है।

9) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान विभाग के कार्यों में से 5 प्रतिशत कार्यों का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जांच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

10) कराये गये कार्यों की अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासंभव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या जिलाधिकारी व मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

11) स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि मुख्यालय को वापस कर दी जाए ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित की जा सके।

12) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

13) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी एवं समक्ष स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

14) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत कार्ययोजना हेतु धनाबंटन में दोहराव की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही है, यदि दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो तो यथाशीघ्र विभागीय वजट को समर्पित कर दिया जाए। किसी भी दोहराव की स्थिति हेतु शाखाधिकारी पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।

15). शासनादेश के अनुरुप कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी/ शाखाधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

16) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के सम्बन्ध में जांच कर